भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः 887 /रिट/भू0खनि0ई0/नैनी0/2017–18 दिनांक 09 फरवरी, 2018

आदेश

मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 268/एम0एस0/2018 नैनी वैली कन्स्ट्रक्शन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पारित अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 200/VII-1/2018/12–रिट/18, दिनांक 07 फरवरी, 2018 के साथ संलग्न स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के फैक्स पत्र दिनांक 30.01.2018, में उल्लिखित है कि "In the meantime and the Hon'ble Court further has directed that in the meantime the financial bid shall not be opened. Kindly be informed accordingly and comply with the Hon'ble Court order, which has restrained the respondents form opening the financial bid in the meantime."

अतः मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित उक्त आदेशों के समादर में प्रश्नगत रिट याचिका के अनुलग्नक–6 (आदेश दिनांक 20.01.2018) में उल्लिखित जनपद नैनीताल के तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 1.60 है0, तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 2.98 है0, तहसील बेतालघाट के ग्राम कटीमी, क्षेत्रफल 1.30 है0, तहसील बेतालघाट के ग्राम सेथी दारकोट, क्षेत्रफल 1.540 है0, तहसील कोश्याकुटौली के ग्राम तल्लाकोट, धनियाकोट, क्षेत्रफल 1.720 है0 कुल 05 उपखनिज लॉटों की ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रकिया को मा0उच्च न्यायालय, नैनीताल के अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा जाता है।

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्याः /रिट/भू0खनि0ई0/नैनी0/2017–18, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2. प्रमुख सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।

9/02/18
(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।